

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)
File No—FP/UP/ ROAD /157011/2022

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या — नहीं।
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है,
(हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और
किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
करें।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी — हाँ।
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत
है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित—
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष
सिफारिशें।

प्रमाणीय वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं प्रमाणीय निदेशक,
सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति
व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है।

तिथि : 04/10/2024

स्थान : mbd,

नाम व पदनाम
सरकारी मोहर

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुराबाबाद वृत्त, मुरादाबाद

ई-मेल द्वारा

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 248 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 04 / 10 / 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय :-

Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauni road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1238 वृक्षों के पातन एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 121 वृक्षों के पातन कुल 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (File No.- FP/UP / Road / 157011/2022)

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद की पत्र संख्या-267/4-1, दिनांक 26-07-2024, पत्र संख्या-862/4-1, दिनांक 18-09-2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर को पत्र संख्या-928/4-1, दिनांक 28-08-2024 एवं ऑनलाइन दिनांक 02.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर ने जनपद बिजनौर में Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauni road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1238 वृक्षों के पातन एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 121 वृक्षों के पातन कुल 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित समेकित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल-1 में ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन समेकित प्रस्ताव संस्तुति सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-

248 / 14-1, उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1-मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, उ०प्र०, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।